प्रेषक,

संख्या– ९/IX/2011/32/2010

पी०सी० शर्मा
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2011

**विषय:– वित्तीय वर्ष 2010–11 में नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5741/01/(छः)लेखा/बजट/2010–11 दिनांक 26 मार्च, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–21/IX/2010/32/2010 दिनांक 12 अप्रैल, 2010 एवं शासनादेश संख्या–25/IX/2010/32/2010 दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक नागरिक उड्डयन विभाग के 16– व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए मद में रू० 12,00,000/– (रू० बारह लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न बी०एम०–15 प्रपत्र में उल्लिखित बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(ii) उक्तानुसार आवंटित धनराशि किसी अन्य मद में व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अर्न्तगत शासन या अन्य समकक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

(iii) इस सम्बन्ध में व्यय करते समय बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स डी०जी०एस० एण्ड डी० मितव्ययता के नियमों में समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(iv) जो देयक प्री आडिट में आ गये हैं उनकी प्री आडिट वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के भाग–1 के नियम 74 के अनुसार पूर्व सम्परीक्षा करके ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(v) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नही किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के केवल लम्बित देयताओं का ही भुगतान किया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2011 तक उपयोग कर लिया जायेगा अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

Budget C.A. doc\17\

क्रमशः पृष्ठ–2/–

2— इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के अनुदान संख्या— 24 के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखा शीर्षक 3053—नागर विमानन—आयोजनेत्तर 80—सामान्य—003—प्रशिक्षण तथा शिक्षा—03 नागरिक उड्डयन—00—आयोजनेत्तर— मानक मद 42 अन्य व्यय के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0 15 में उल्लिखित विवरणानुसार किया जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—1010 / XXVII(2) / 2011 दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक: प्रपत्र—बी0एम0—15

भवदीय

पी0सी0 शर्मा 3.13
प्रमुख सचिव।

संख्या— 52(1) / IX / 2011 / 32 / 2010 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी—1 / 105 इन्दिरानगर देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (ए एण्ड ई) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23—लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

आय व्ययक प्रपत्र –बी0एम0–15 पुर्न विनियोग 2010–11

अनुदान संख्या –24 आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर

नियन्त्रक अधिकारी– प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन, प्रशासनिक विभाग –प्रमुख सचिव नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन, (धनराशि हजार ₹ में)

| बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण | नानक मदवार अध्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष सरप्लस धनराशि | लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है । | पुर्न विनियोग के बाद स्तम्ब–5 की कुल धनराशि | पुर्न विनियोग के बाद स्तम्ब–1 की कुल धनराशि | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3053–नागर विमाननआयोजनेतर 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन 00– 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान ₹ 2,09,58 | 1,86,15 | 11,43 | 12,00(क) | 3053–नागर विमानन आयोजनेत्तर 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन 00– 42– अन्य व्यय ₹ 12,00 (ख) | 1,82,63 | 1,97,58 | (क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) बजट प्राविधान से अधिक व्यय की आवश्यकता होने के कारण। |
| योग 2,09,58 | 1,86,15 | 11,43 | 12,00 | 12,00 | 1,82,63 | 1,97,58 | |

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट नैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उलंघन नहीं होता है ।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

सेवामें

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–2
संख्या– 1010/XXVII(2)/2011
देहरादून दिनांक 29 मार्च 2011

पुर्नविनियोग स्वीकृत–

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या– 52(2)/ix/32/2010 तददिनाक

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक, राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग –2

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

Statement.doc